



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6601

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 19298 वर्ष 2025

सृष्टि सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	सुनील कुमार सिंह, विमल चंद्र मिश्र
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	अजीत सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विमल चंद्र मिश्रा की ओर से उपस्थित सुश्री निहारिका सिंह (एओआर ए/एन 0501/2025), साथ ही राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से श्री अजीत सिंह को सुना गया।
- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और श्री अजीत सिंह ने यह बयान दिया है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर शुरुआती चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें प्रारंभ में 27.06.2022 के नियुक्ति आदेश द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता ने 28.06.2022 को कार्यभार ग्रहण किया था, हालांकि, याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तीसरे प्रतिवादी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद अन्य आवेदन भी दिए गए। कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 08.09.2025 को याचिकाकर्ता के वेतन भुगतान के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं थी।
- उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को 17.09.2025 को दोपहर 2:00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था और याचिकाकर्ता ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी थी, लेकिन उक्त अधिकारी ने बिना किसी चर्चा या निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण बताए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है, विशेषकर तब जबकि याचिकाकर्ता को अपने निष्कर्ष निकालते समय और कारण बताते समय कम से कम इन सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए था।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए अजीत सिंह ने प्रस्तुत किया कि उनके अनुसार आदेश सही परिप्रेक्ष्य में पारित नहीं किया गया है, इसलिए आदेश को रद्द किया जाए और मामले को प्राधिकारी को वापस भेजा जाए ताकि वह नया आदेश पारित कर सके।

7. मैंने न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को 27.06.2022 को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, इस आरोप के कारण कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं थी, याचिकाकर्ता को 17.09.2025 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता 17.09.2025 को उपस्थित होकर यह दावा करता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति कानून के अनुसार पूर्णतः वैध थी, हालांकि, आक्षेपित आदेश में एक ही झटके में याचिकाकर्ता के वेतन भुगतान के दावे को खारिज कर दिया गया है। कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2025 को पारित आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"सुश्री सृष्टि सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सरवन खेड़ा

कानपुर देहात के वेतन भुगतान सम्बन्धी विभिन्न प्रत्यावेदनो का निस्तारण

सुश्री सृष्टि सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सरवन खेड़ा कानपुर देहात के विभिन्न प्रत्यावेदनों द्वारा वेतन भुगतान हेतु की गयी मांग के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक प्र०शि०/5296-302/2025-26 दिनांक 09/07/2025 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी मलासा की अध्यक्षता में प्रकरण के निस्तारण हेतु त्रिसदस्यीय जाँच समिति गठित की गयी।



गठित समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15/09/2025 को प्राप्त करायी गयी जिसमें उल्लेख किया गया है कि जनपद कानपुर देहात में परिषदीय लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के 10 पद सृजित हैं। शासनादेश संख्या-3309/79-5-2016 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर 2016 में वर्णित प्राविधानानुसार 80 प्रति0 पद सीधी भर्ती 20 प्रति0 चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत परिषदीय कार्मिकों की पदोन्नति से कनिष्ठ सहायक के पद को भरा/पूरित किया जाना प्राविधानित है। सुश्री सृष्टि सिंह की कनिष्ठ सहायक के रूप में सीधी भर्ती (मतक आश्रित नियुक्ति) की गयी थी उस समय सीधी भर्ती के सभी पद (कुल 08 पद) भरे हुए थे केवल 02 पद कनिष्ठ सहायक (चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से पदोन्नति हेतु) रिक्त थे। तत्समय भर्ती के समय उक्त शासनादेश के नियमों का पालन नहीं किया गया ऐसी स्थिति में सुश्री सृष्टि सिंह को उक्त पद का वेतन देय नहीं है। तत्समय 02 पद रिक्त होने के फलस्वरूप रिक्त पदों पर मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के क्रम में श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह एवं सुश्री सृष्टि सिंह को क्रमशः कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड मलासा एवं विकास खण्ड सरवन खेड़ा में कनिष्ठ सहायक पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति तत्कालीन प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मण्डल कानपुर श्री राजेश कुमार शाही द्वारा प्रदान की गयी।

समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के क्रम में विभागीय आदेश/शासनादेश के अनुक्रम में सुश्री सृष्टि सिंह को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 17/09/2025 को अपरान्ह 02.00 बजे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये। निर्धारित सुनवाई में सुश्री सृष्टि उपस्थित हुयी तथा सुश्री सृष्टि सिंह को समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति से अवगत भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

सुश्री सृष्टि सिंह के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के अनुरूप वेतन लेने के सम्बन्ध में असहमति व्यक्त की गयी।

उक्त के क्रम में समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि सुश्री सृष्टि सिंह की मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों के प्रति की गयी है जो शासनादेश संख्या 3309/79-5-2016 शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर 2016 में निहित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण कनिष्ठ लिपिक पद के अनुरूप वेतन भुगतान किया जाना उचित नहीं है। सुश्री सृष्टि सिंह को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के सापेक्ष समायोजित करते हुए वेतन भुगतान किया जा सकता है।"



9. चूंकि उक्त आदेश में निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(क) कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2025 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है; (ख) मामले को दो महीने की अवधि के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

11. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश